न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 35/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 रेशमा पुत्री स्व0 हेमाराम		1 कसनी पत्नि धनाराम जाति सिरवी निवासी सौपतरों का बास, बढेर के पास, खौड तहसील रानी
2 रिन्कु पुत्री हेमाराम नाबालिक जरिये कुदरती वली संरक्षक नाना हीरालाल पुत्र खरताराम जाति सिरवी निवासी सेदरिया तहसील रानी		2 सरपंच ग्राम पंचायत खौड पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 7.11.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, खौड द्वारा मिसल संख्या 21/20012–13, संकल्प संख्या 5(7) दिनांक 05.12.2012 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण हेमाराम की जायन्दा पुत्रीयां है तथा हेमाराम फौत हो चुके है। इसके कारण प्रार्थीगण का लालन, पालन, पोषण प्रार्थीगण के नाना हीरालाल द्वारा ही की जाती रही है। प्रार्थीगण के दादा तेजाराम थे, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है –

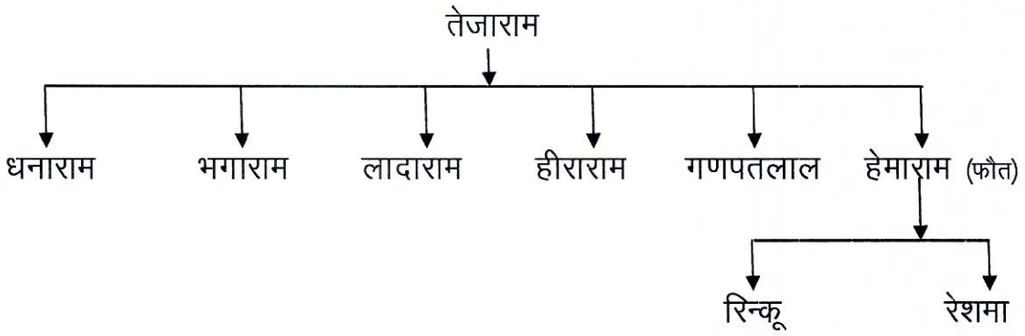

प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जासुदा स्वामित्व का मकान ग्राम खौड में आया हुआ स्थित है, जिसमें प्रार्थी के पिता व प्रार्थीगण के बडे पिता धनाराम, भगाराम, लादाराम, गणपतलाल का हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के बडे पिता धनाराम की पत्नि है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत खौड के तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.12.2012 को अपने नाम जारी करवाया है, जबकि उक्त प्लॉट पर प्रार्थीगण के दादा तेजाराम एवं उनकी मृत्यु के बाद तेजाराम के पुत्रों का कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया

अति० जिला कलेक्टर, पाली

है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 266 की पालना नही की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम उक्त पट्टा जारी करवाते समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उपरोक्त प्लॉट की एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्य बताया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 खौड की निवासी ही नही है, अप्रार्थी संख्या 1 का ससुराल खौड में है, जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पति की पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थी कभी भी पंचायत के समक्ष उपस्थित ही नही हुई तथा न ही कहीं पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिन गवाहों ने अप्रार्थी संख्या 1 का गत 47–50 वर्षो का कब्जा बताया है, उनकी स्वयं की उम्र 47–50 वर्ष है। इस कारण उक्त बयान भी संदेहास्पद है। चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी नही थी, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 नियम 157 (1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी नही थी। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बगैर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो गैर कानूनी है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी ने मुख्य रूप से वादस्थ भूमि पुश्तैनी होना जाहिर किया है। यह भूमि पुश्तैनी है अथवा नही ? इस तथ्य का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है, इन तथ्यों का निर्धारण मात्र सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस भूमि के दो अलग अलग पट्टे जारी हुए है, एक धनाराम के नाम एवं दूसरा कसनी देवी के नाम। यह भूमि पुश्तैनी नही है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही है। इस सम्बन्ध में धनाराम के भाई ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि यह भूमि पुश्तैनी नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी को बेचान किया गया है, जिसके एवज में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को जरिये चैक राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड के समीप के भूखण्ड के जो पट्टे जारी हुए हे, उसके पडौस में अप्रार्थी का नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जब प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि थी, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने की पंचायत को अधिकारिता नही थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह जाहिर किया कि उनके द्वारा राशि पंचायत के समक्ष जमा करवाई गई है, इन तथ्यों के समर्थन में जो रसीद की प्रति प्रस्तुत की है, वह सात हजार रूपये की है, जबकि नियम 157 (1) के तहत 100/– रूपये ही जमा करवाये जाकर पट्टा जारी करने के प्रावधान है। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, खौड द्वारा मिसल संख्या 21/20012–13, संकल्प संख्या 5(7) दिनांक 05.12.2012 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आवेदक कसनीदेवी पत्नि धन्नाराम द्वारा ग्राम पंचायत खौड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भूमि के पडौस अंकित किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा इस पर दिनांक 05.10.2012 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने एवं तीन वार्ड पंचों की कमेटी को मौका निरीक्षण करने के आदेश दिये, किन्तु किन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। वार्ड पंचो द्वारा जो निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर अन्य तीन वार्ड पचों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। दिनांक 20.10.2012 को मिसल की आदेशिका में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.11.2012 को कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण प्रार्थी को अपने कब्जे के सम्बन्ध में दो गवाहों के बयान दर्ज कराने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.12.2012 को नियम 157 (1) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निःशुल्क पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1997 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, खौड द्वारा मिसल संख्या 21/20012–13, संकल्प संख्या 5(7) दिनांक 05.12.2012 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली